

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] No. 129] नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2014/ज्येष्ठ 7, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2014/JYAISTHA 7, 1936

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2014

फा. सं. 15/4/2014-स्था-IV:—जबिक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, पोलावरम सिंचाई परियोजना को [धारा 90 उपधारा (1) के अधीन] राष्ट्रीय परियोजना घोषित करता है और यह लोकहित में समीचीन है कि सिंचाई के उद्देश्य के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना का विनियमन और विकास [धारा 90 उपधारा (2) के अधीन] संघ के नियन्त्रणाधीन हो।

और अधिनियम की धारा 90 (4) में उपबंध है कि केन्द्रीय सरकार परियोजना का निष्पादन करेगी और सभी अपेक्षित अनापत्तियां जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय, वन और पुनर्वास तथा पुर्निस्थापन के संनियम भी है, प्राप्त करेगी ।

अब, अधिनियम के उक्त उपबंधों के प्रस्तावों के निर्वहन के लिए, केन्द्रीय सरकार पोलावरम परियोजना प्राधिकरण और पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के शासी निकाय का गठन निम्न प्रकार से करती है ;

1. पोलावरम परियोजना प्राधिकरण का शासी निकाय

पोलावरम परियोजना प्राधिकरण का एक शासी निकाय होगा जो निम्न से मिलकर बनेगी :

(i) सचिव, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय

- अध्यक्ष

(ii) आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव

- सदस्य

(iii) तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव

- सदस्य

(iv) सचिव भारत सरकार, पर्यावरण और वन, सचिव, वित्त (व्यय विभाग)

सचिव, विद्युत और सचिव, जनजातीय कल्याण मंत्रालय

- सदस्य

(या उसका नाम निर्देशिति व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर के नीचे न हो)

2219 GI/2014 (1)

- (v) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलावरम परियोजना पराधिकरण सदस्य
- (vi) योजना आयोग का प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव के स्तर के नीचे न हो) सदस्य
- (vii) सदस्य-सचिव, पोलावरम परियोजना पराधिकरण -सदस्य सचिव

2. पोलावरम परियोजना प्राधिकरण

- 1. पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्राधिकरण कहा गया है) के संक्षिप्त नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा ।
 - 2. प्राधिकरण में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और 11 सदस्य होगें जो कि निम्नानुसार है :
 - (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी

- अध्यक्ष

(ii) उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव/ सचिव, सिंचाई जल संसाधन विभाग

- सदस्य

(iii) उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव/ सचिव, सिंचाई जल संसाधन विभाग

- सदस्य

(iv) दो मुख्य अभियंता (ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी), केंद्रीय जल अभियंत्रण (समूह 'क') सेवा और केन्द्रीय विद्युत अभियंत्रण (समूह 'क') सेवा से प्रत्येक से एक एक; जो क्रमशः आयोजना एवं अभिकल्प तथा विद्युत संकाय के भार साधक होंगे

- सदस्य

(v) तीन मुख्य अभियंता राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, जो बांध और उससे संबद्ध ढांचों, पॉवर हाउस और संम्बधित कार्य तथा नहर तंत्र कार्यों के भार साधक होंगे

- सदस्य

(vi) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के भार साधक आयुक्त

- सदस्य

(vii) वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन मंत्रालय

- सदस्य

- (viii) केंद्रीय जल अभियंत्रण (समूह 'क') सेवा से एक मुख्य अभियंता (ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) -सदस्य सचिव
- 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी और क्रम संख्या (iv), (v) और (viii) के सदस्य पूर्णकालिक रूप से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, जैसा भी मामला हो, द्वारा तैनात होंगे ।
- 4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा भारत सरकार के अपर सचिव के पद पर पैनल किए गए अधिकारियों में से की जाएगी, जिनकी निर्धारित कार्याविध कम से कम 3 वर्ष होगी और शासी निकाय के साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन प्राधिकरण के भार साधक होंगे।
- 5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास वे सभी प्रशासनिक, वित्तीय और कार्य संबंधी शक्तियां होगी जो केंद्रीय सरकार के विभागाध्यक्ष के पास उपलब्ध होती हैं ।
- 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्यों के कार्यालयों में किसी भी रिक्ति के होने पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, ऐसे रिक्त पदों पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी :

परंतु यह कि किसी सदस्य के बीमारी या किसी कारण से अनुपस्थिति की दशा में, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, किसी ऐसे व्यक्ति, जो सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अन्यथा पात्र हो, को बीमारी या अनुपस्थिति के दौरान कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकती हैं, और ऐसे कार्यकारी सदस्य के पास इस प्रकार से कार्य करते समय उस सदस्य की सभी शक्तियां होंगी और वह उनके सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और उनकी सभी क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे जिनके स्थान पर वे कार्य कर रहे हैं।

7. प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी

- (क) प्राधिकरण, समय-समय पर ऐसे तथा इतने अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त या तैनात कर सकता है, जैसा वह उचित समझे। ऐसे सभी अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण के एकल नियंत्रण में होंगे।
- (ख) प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से आवासीय निवास, मकान किराया भत्ते, यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, परिवहन भत्ते और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिए विनियमों को बना सकता है।
- (ग) वेतनमान, भत्ते (जिसके अंतर्गत परियोजना भत्तें भी हैं) और अन्य सेवा शर्तें वहीं होंगी जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होंगी।
- (घ) प्राधिकरण, राज्य सरकार के साथ प्राधिकरण में पूर्णकालिक रोजगार या प्राधिकरण के लिए किसी कार्य या सेवाओं के निष्पादन के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारों में तैनात व्यक्तियों की सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करेगा। तथा इस दशा में ऐसे कर्मचारियों का वेतनमान, भत्ते (जिसके अंतर्गत परियोजना भत्तें भी हैं) और अन्य सेवा शर्ते वह होगीं जैसे कि संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है।
- (ङ) वे कर्मचारी, जो प्राधिकरण की अधिसूचना के तुरंत पूर्व नियमित आधार पर पोलावरम परियोजना पर कार्य कर रहे थे, अधिसूचना के पश्चात् परियोजना पर कार्य करना जारी रखेंगे और उन्हें तब तक प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा, जब तक कि प्राधिकरण कोई वैकल्पिक व्यवस्था न कर ले, यदि ऐसा करना आवश्यक समझा जाए।
- (च) प्राधिकरण के सभी पदों को प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए तुरंत आमेलन के नियम से छूट दी जाएगी।

8. शासी निकाय की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य

- (1) पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के शासी निकाय के पास शक्तियां से भारित होंगी वह उन सभी या कोई भी आवश्यक कार्य करने के लिए दायित्वाधीन होगी, जो सभी अपेक्षित निर्बाधनों जिसके अंतर्गत पर्यावरण, वन और पुनर्वास तथा पुर्नव्यवस्थापन संनियमों और विनियमों तथा पोलावरम विकास परियोजना भी को प्राप्त करना जो समूचित और समीचीन है।
 - (2) शासी निकाय की शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हो सकेगें :
 - (क) पोलावरम परियोजना प्राधिकरण की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण;
 - (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय से कानूनी अनापत्तियां और योजना आयोग से विनिधान अनापत्ति को तीव्र करना ;
 - (ग) पोलावरम परियोजना के संबंध में गोदावरी जल विवाद अधिकरण के विनिश्चय और कानूनी अनापत्तियां की शर्तानुसार परियोजना के निर्माण के दौरान और उसके पूरा होने के पश्चात् तीव्रता से सवोत्तम लाभ प्राप्त करने के दृष्टि से पोलावरम परियोजना के चरणों और उसके निर्माण कार्यों को अंतिम रूप देना;
 - (घ) प्राधिकरण की संगठनात्मक संरचना के विषय में विनिश्चय करना और प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और अन्य सदस्यों तथा अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन।

9. प्राधिकरण की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य

- 1. प्राधिकरण अधिमानत: संबंधित राज्य विभाग और/या किसी अन्य विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से परियोजना का कार्यान्वयन करेगा और सभी अपेक्षित अनापत्तियां, जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय, वन और पुर्नस्थापना और पुर्नवास संनियम भी है प्राप्त करेगा और उसके पास पोलावरम परियोजना के विनियमन और विकास का दायित्व से भारित होगा।
- 2. प्राधिकरण, पोलावरम परियोजना के अंतर्गत आप्लावित होने वाली संभावित भूमि और संपदाओं के अधिग्रहण और उन्हें प्राधिकरण को उपलब्ध करवाने के मामले और उनके अधीन बेदखल किए जाने वाले व्यक्तियों की क्षितिपूर्ति और पुर्नवास के मामले में संबंधित राज्यों द्वारा समयबद्व पूर्ण अनुपालन के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो उपयुक्त निदेश जारी करेगा।
- 3. प्राधिकरण संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) या केंद्रीय जल आयोग द्वारा ऐसी निदयों (स्ट्रीमों) और अन्य स्वचालित रिकॉर्डरों से युक्त गेजिंग स्टेशनों की स्थापना, रख-रखाव और प्रचालन कराएगा, जहां गोदावरी जल विवाद अधिकरण के आदेशों के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए और पोलावरम परियोजना के संबंध में अपेक्षित रिकॉर्डों को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर यथावश्यक निस्सरण, गाद, जल गुणवत्ता और वाष्पीकरण प्रेक्षण केंद्र और मापन प्रणालियां मौजूद हों।
- 4. प्राधिकरण गोदावरी जल विवाद अधिकरण के अवार्ड के कार्यान्वयन और अनुपूरित करने के लिए जल-लेखाओं के नियमों को तैयार करेगा।
- प्राधिकरण विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार पोलावरम परियोजना से उत्पन्न बिजली का संबंधित राज्यों के बीच आबंटन का विनियमन करेगा।
- 6. प्राधिकरण, किसी जल वर्ष में (किसी वर्ष के 1 जून से अगले वर्ष के 31 मई तक) दस दिवसीय आधार पर प्रत्येक मुख्य / शाखा हेडवर्क द्वारा भंडारित जल के उपयोग की मात्रा, पोलावरम जलाशय में भंडारण किए गए जल के अंत: और बाह्य प्रवाह की मात्रा, वाष्पीकरण और रिसाव से होने वाली क्षति, अवधारित करेगा।
- 7. प्राधिकरण या किसी सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों को किसी ऐसी भूमि और संपत्ति में प्रवेश करने का अधिकार होगा, जिस पर पोलावरम के जल के उपयोग के लिए किसी राज्य द्वारा गेजिंग, वाष्पीकरण का कोई कार्य या अन्य जल-विज्ञानीय केंद्र अथवा मापन पद्धति बनाई गई है या बनाई जा रही है, उसका प्रचालन या रख-रखाव किया जा रहा है और प्रत्येक राज्य इस संबंध में प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपर्युक्त विभागों के माध्यम से पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेगा।
- 8. प्राधिकरण यथा प्राय: बैठकें करेगा, जितनी कि आवश्यक हो और गोदावरी जल विवाद अधिकरण के आदेशों के अनुसरण में जल के उपयुक्त प्रबंधन जिसके अंतर्गत विशेषतया पोलावरम जलाशय से जल की निकासी के तरीके और ब्यौरे भी हैं, के लिए निर्णय लेगा।
- 9. प्राधिकरण बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ नियंत्रण की एक प्रभावी प्रणाली की स्थापन, अनुरक्षणऔर प्रचालन जिसके अन्तर्गत भारी वर्षण और दूरसंचार प्रणाली रिपोर्ट करना भी है, के लिए उपयुक्त निदेश जारी करेगा । प्राधिकरण बाढ़ के दौरान जलाशयों के प्रचालन के संबंध में डाटा के वार्षिक प्रकाशन का कार्य करेगा और पक्षकार राज्यों को उपलब्ध कराएगा ।
- 10. प्राधिकरण समय समय पर शासी निकाय और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित अन्य कार्य का भी निष्पादन करेगा।
- 10. प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट –प्राधिकरण, पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए प्राधिकरण के कार्यकलापों को शामिल करने वाली वार्षिक रिपोर्ट यथाशीघ्र और किसी भी दशा में दिसंबर के समाप्त होने के पूर्व तैयार करेगा और केंद्रीय सरकार को भेजेगा और प्रत्येक पक्षकार राज्य की सरकार के अनुरोध पर अपने किसी भी सूचना को उसे उपलब्ध कराएगा और केन्द्रीय सरकार और उसके प्रतिनिधियों को सदैव रिकॉर्ड तक उनकी पहुंच का उपबंध करेगा।

11. प्राधिकरण का रिकॉर्ड और उनका स्थान –

- (1) प्राधिकरण सभी बैठकों और कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखेगा, नियमित लेखाओं को रखेगा और उसके पास एक उपयुक्त कार्यालय होगा जहां ऐसे समय और ऐसे विनियमों के अधीन, जिसे प्राधिकरण अवधारित कर सकता है, केंद्रीय सरकार या उनके प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए दस्तावेज, अभिलेख, लेखा और गेजिंग के आंकड़े उपलब्ध रखे जाएंगे।
- (2) प्राधिकरण का मुख्यालय आरंभ में उत्तरवर्ती राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की साझा राजधानी हैदराबाद में होगा. जब तक कि प्राधिकरण इस संबंध में कोई विनिश्चय न करे।

उर्विला खाती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES **NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th May, 2014

F. No. 15/4/2014-E-IV.—Whereas the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014hereinafter referred to as the Act) declares Polavaram Irrigation Project to be a national project [under Sub-section (1) of Section 90] and it is expedient in the public interest that the Union should take under its control the regulation and development of the Polavaram Irrigation Project for the purposes of irrigation [under Sub-section (2) of Section 90];

And whereas under Sub-section (4) of Section 90 of the Act mandates that the Central Government shall execute the project and obtain all requisite clearances including environmental, forests, and rehabilitation and resettlement norms:

Now, therefore, in pursuance of said section and to carry out the purposes of the said provisions of the Act, the Central Government hereby constitutes the Governing Body to Polavaram Project Authority and the Polavaram Project Authority as follows;

Governing Body to Polavaram Project Authority

There shall be a Governing Body to the Polavaram Project Authority, which shall consist of the following:

The Secretary to the Government of India, Ministry of Water Resources (i) - Chairperson (ii) The Chief Secretary to the Government of Andhra Pradesh - Member

(iii) The Chief Secretary to the Government of Telangana

(iv) The Secretaries to the Government of India, Ministries of Environment and Forests, Finance (Dept. of Expenditure), Power and Tribal Welfare (or their nominee(s) not below the rank of Joint Secretary)

(v) The Chief Executive Officer, Polavaram Project Authority (vi) A representative of Planning Commission (not below the rank of

Joint Secretary)

(vii) Member Secretary, Polavaram Project Authority

- Member

- Member - Member

- Member

- Member Secretary

Polavaram Project Authority II.

There shall be constitution of an Authority called the Polavaram Project Authority (hereinafter referred to as the Authority);

- 2. The Authority shall consist of a Chief Executive Officer (CEO) and eleven Members, as under;
 - The Chief Executive Officer

- Chairman

The Principal Secretary or Secretary of Irrigation or Water Resources Department of the successor State of Telangana

- Member

- (iii) The Principal Secretary or Secretary of Irrigation or Water

 Resources Department of the successor State of Andhra Pradesh Member
- (iv) Two Chief Engineers (Senior Administrative Grade), one each from Central Water Engineering (Group 'A') Service and Central Power Engineering (Group 'A') Service to be in-charge of Planning and Design and Power Wing respectively

- Members

(v) Three Chief Engineers to be deputed by the State Government to be in-charge of the works for the Dam and appurtenant Structures, Power House and associated works and Canal system

- Members

(vi) Commissioner in-charge of Land Acquisition and Rehabilitation of States of Andhra Pradesh and Telangana

- Member - Member

- (vii) Financial Adviser, Ministry of Water Resources
- (viii) One Chief Engineer (Senior Administrative Grade) from Central Water Engineering (Group 'A') Service

-Member Secretary

- 3. The Chief Executive Officer and Members at serial numbers (iv), (v) and (viii) shall be posted to the Authority on full time basis by the Central Government or the State Government, as the case may be.
- 4. The Chief Executive Officer shall be appointed by the Central Government from amongst Officers empanelled for the post of Additional Secretary to the Government of India with a fixed tenure of at least three years and he shall be in-charge of the Authority under the general supervision and control of the Governing Body.
- 5. The Chief Executive Officer shall have all the administrative, financial and work powers as available to the Head of the Department in the Central Government.
- 6. On any vacancy occurring in the Offices of Chief Executive Officer and the Members, the Central Government or the State Government, as the case may be, shall post a person to such vacant office:

Provided that in case of illness or absence of a Member, the Central Government or the State Government, as the case may be, may post a person, who is otherwise eligible to hold the appointment, as an acting Member during such illness or absence and such acting Member shall, while so acting, have all the powers and perform all the duties and be entitled to the indemnities of the Member, in whose place he/she so acts.

7. Officers and servants of the Authority

- (a) The Authority may from time to time appoint or employ such officers and employees as it thinks fit. All such officers and employees shall be subject to the sole control of the Authority.
- (b) The Authority may, with the previous approval of the Central Government, make regulations to regulate conditions of service of all such officers and employees in respect of residential accommodation, house rent allowance, travelling allowance, daily allowance, conveyance allowance and medical reimbursement.
- (c) The scales of pay, allowances (including project allowance) and other service conditions shall be as applicable to Central Government employees.
- (d) The Authority shall arrange with the State Governments to spare the services of the persons employed in the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana for whole-time employment with the Authority, or for the performance of any work or services for the Authority, and in that case, the scales of pay, allowances (including project allowance) and other service conditions of such employees may be as applicable to concerned State Government employees.
- (e) The personnel, which immediately before the notification of the Authority, was working on the Polavaram Project on regular basis, shall continue to work on the project after notification and

- would be deemed to be on deputation to the Authority till the Authority makes alternate arrangement, if so considered necessary.
- (f) All the posts of the Authority shall be exempted from the rule of immediate absorption for appointment in the Authority.

8. Powers, functions and duties of the Governing Body

- (1) The Governing Body to the Polavaram Project Authority shall be charged with the power and shall be under a duty to do any or all things necessary, sufficient and expedient for obtaining all requisite clearances including environmental, forests, and rehabilitation and resettlement norms and regulation and development of the Polavaram Project.
- (2) The power, functions and duties of the Governing Body may include
 - (a) supervision of the functioning of the Polavaram Project Authority;
 - (b) expediting the statutory clearances from the Ministry of Environment and Forests and investment clearance from the Planning Commission;
 - (c) finalisation of phasing and construction programmes of the Polavaram Project with a view to obtaining expeditiously optimum benefits during and after the completion of the construction of the project in accordance with decision of Godavari Water Disputes Tribunal related to Polavaram project and conditionality of statutory clearances;
 - (d) deciding about organizational structure of the Authority and delegation of powers to the Chief Executive Officer and other Members and Officers of the Authority.

9. Powers, functions and duties of the Authority

- (1) The Authority shall execute the project, preferably through the concerned State Departments and/or any other expert agency, and obtain all requisite clearances including environmental, forests, and rehabilitation and resettlement norms and shall be charged with the regulation and development of the Polavaram Project.
- (2) The Authority shall issue appropriate directions, whenever necessary for timely and full compliance by the concerned States in the matter of acquisition for and making available to Authority lands and properties likely to be submerged under the Polavaram Project and in the matter of compensation and rehabilitation of oustees thereunder.
- (3) The Authority shall cause to be established, maintained and operated by the State Government(s) concerned or Central Water Commission, such stream and other gauging stations, equipped with automatic recorders, where necessary, discharge, silt, water quality and evaporation observation stations and measuring devices as may be necessary from time to time for securing the records required to implement the provisions of the orders of the Godavari Water Disputes Tribunal with regard to Polavaram Project.
- (4) The Authority shall frame rules for water accounting to implement and supplement the provisions of the Award of the Godavari Water Disputes Tribunal.
- (5) The Authority shall regulate distribution of power generated from the Polavaram project amongst the States, as notified by the Ministry of Power.
- (6) The Authority shall determine the volume of water stored, flowing in and out of the Polavaram reservoir, the volume of water utilized through each Main or Branch head works, evaporation and seepage losses on ten daily basis in a water year (1stJune of a year to the 31stMay of next year).
- (7) The Authority or any of its duly authorized representatives shall have power to enter upon any land and property upon which any work of gauging, evaporation or other hydrological station or measuring device has been or is being constructed, operated or maintained by any State for

- the use of Polavaram water and each State through its appropriate departments shall render all cooperation and assistance to the Authority and its authorized representatives in this behalf.
- (8) The Authority shall meet as often as necessary and decide on a proper management of waters including in particular the manner and details of withdrawals of waters from Polavaram reservoir in accordance with the orders of the Godavari Water Disputes Tribunal.
- (9) The Authority shall issue appropriate directions for establishment, maintenance and operation of an effective system of flood forecasting and flood control including reporting of heavy precipitation and telecommunication systems and the Authority shall publish annually and make available to party States the data regarding operation of reservoirs during floods.
- (10) The Authority shall also perform any other function as directed by the Governing Body and the Central Government from time to time.
- 10. Annual Report of the Authority The Authority shall prepare and transmit to the Central Government as early as possible and in any case before the end of December, an Annual Report covering the activities of the Authority for preceding financial year and to make available to the Government of each of the Party States, on its request, any information within its possession any time and always provide access to its records to the Central Government and their representatives.
 - 11. Records of the Authority and their location
 - (1) The Authority shall keep a record of all meetings and proceedings, maintain regular accounts, and have suitable offices where documents, records, accounts and gauging data shall be kept open for inspection by the Central Government or their representatives at such times and under such regulations as the Authority may determine.
 - (2) The headquarters of the Authority shall be initially at Hyderabad the common capital of successor States of Andhra Pradesh and Telangana, till the Authority takes any decision in this regard.

URVILLA KHATI, Jt. Secy.